न्यायालय–जिलाधिकारी, सहरसा।

आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या – 284 / 2015
96 / 2016

विन्दु देवी बनाम अहमदी खातुन

– :: आदेश :: –

30.8.18

प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील वाद अपीलार्थी विन्दु देवी, पति–कामेश्वर ताँती द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा के आँगनबाड़ी वाद संख्या – 25 / 2014–15 में दिनांक 03.01.2015 को पारित आदेश ज्ञापांक – 25–1, दिनांक 31.01.2015 के विरुद्ध उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में 284 / 2015 दाखिल किया गया, जो समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक – 3226 दिनांक 11.08.2015 में वर्णित संशोधित निदेश कंडिका – 10 / 10.4 तथा 10 / 10.7 के आलोक में वाद हस्तानान्तरित होकर प्राप्त हुआ है।

प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा वाद संख्या – 25–1 / 2015–16 में पारित आदेश ज्ञापांक – 25–1 / आई.सी.डी.एस. दिनांक 31.01.2015 के विरुद्ध अपीलार्थी विन्दु देवी द्वारा दाखिल किया गया।

अपीलार्थी का कहना है कि ग्राम पंचायत–सरबेला, वार्ड संख्या–02, प्रखंड–बनमा ईटहरी, ग्राम–कासिमपुर मध्य टोला केन्द्र संख्या–83 के लिए आँगनबाड़ी सेविका पद के लिए चयन हेतु दिनांक 26.07.2013 को आम सभा हुआ एवं पूर्व से तैयार मैपिंग पंजी एवं पोषक क्षेत्र के आधार पर प्रतिपक्षी का चयन किया गया। उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या–83 का पोषक क्षेत्र के लिए मैपिंग तैयार करने का प्रभार केन्द्र संख्या–30 की सेविका ओजेरा खातुन को दी गई एवं औजेरा खातुन द्वारा अल्प संख्यक की संख्या–477 एवं अति पिछड़ा वर्ग की संख्या–358 थी। इस आधार पर दिनांक 11.02.2013 को आयोजित आम सभा में मैपिंग पंजी का विरोध किया गया तब आम सभा स्थगित की गई। पुनः मैपिंग पंजी तैयार करने के लिए टीम गठित की गई जिसमें सेविका साहिन बेगम एवं बिनिता कुमारी एवं पर्यवेक्षिका सोनी कुमारी सोनम तथा श्रीमती नूतन कुमारी द्वारा सर्वे किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक–522 एवं अति पिछड़ा वर्ग–420 का प्रतिवेदन दिया गया। तदुपरांत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आंशिक रूप से सर्वे का अवलोकन किया गया तो अल्पसंख्यक–493 एवं अतिपिछड़ा वर्ग–463 पाया गया। भिन्न–भिन्न पर्यवेक्षिका द्वारा तैयार मैपिंग पंजी के अनुसार वर्ग बाहुल्य की संख्या भिन्न–भिन्न है तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा अपने कर्त्तव्य का सम्यक रूप से निवर्हन नहीं किया गया। अपीलार्थी का आगे कहना है कि इस संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बनमा ईटहरी को पत्रांक–1522 / आई.सी.डी.एस. दिनांक 10.09.2013 से निदेशित किया गया कि मतदाता सूची एवं पहचान पत्र के आधार पर पोषक क्षेत्र का निर्धारण कर स्पष्ट प्रतिवेदन दें। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक–525, दिनांक 23.09.2013 द्वारा मतदाता सूची पंचायत आम निर्वाचन नामावली, 2011 के आधार पर जातिगत व्यौरा वर्ग व्यौरा एवं गृह संख्या के आधार पर अति पिछड़ा–167, अल्पसंख्यक–150 एवं अनुसूचित जाति–37 कुल 354 है, इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ग बाहुल्य अति पिछड़ा का है। अपीलार्थी का आगे कहना है कि प्रतिपक्षी की दो सगी गोतनी क्रमशः बीबी नुसरत बानो एवं फोजिया तबस्सुम सहरसा जिलान्तर्गत सौरबाजार प्रखंड में प्रखंड शिक्षक है जबकि भैंसुर मो0 शमसुद होदा बनमा ईटहरी प्रखंड में प्रखंड शिक्षक के पद पर कार्यरत है एवं एक देवर मो0 शाहीन ग्रामीण बैंक तेलियाहाट में कार्यरत है। अपीलार्थी का आगे कहना है कि मार्गदर्शिका के कंडिका–4 की उप कंडिका–4.9 के अनुसार विपक्षी सेविका पद का पर चयन की अर्हता नहीं रखती है तथा इनका चयन मार्गदर्शिका के विपरित की गई है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी को चयन पत्र निर्गत करने का आदेश देने हेतु वाद दायर किया गया है।

30.8.18

प्रतिपक्षी का कहना है कि उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र अल्पसंख्यक वर्ग बाहुल्य के विरुद्ध दिनांक–11.05.2013 को आयोजित आम सभा में आपत्ति दी गई। आम सभा स्थगित कर पुनः से मैपिंग पंजी तैयार करने हेतु टीम गठित किया गया, जिसमें साहीन बेगम एवं विनिता कुमारी सेविका एवं सोनी कुमारी एवं नूतन कुमारी महिला पर्यवेक्षिका द्वारा पोषक क्षेत्र का सर्वेक्षण घर–घर घूमकर काफी पारदर्शिता के साथ किया गया। मैपिंग पंजी के अनुसार अल्पसंख्यक–522 एवं अतिपिछड़ा वर्ग–420 पाया गया। संशोधित मैपिंग पंजी के आलोक में दिनांक 26.07.2013 को आम सभा में वर्ग बाहुल्य अल्पसंख्यक घोषित किया गया तथा वर्गबाहुल्ता से पोषक क्षेत्र की सर्वाधिक अंक 83.10 प्रतिशत प्राप्त के आधार पर चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से इनका चयन किया गया, जबकि अपीलार्थी का मेघा अंक 52.85 प्रतिशत है व वर्ग बाहुल्य से नहीं है। उसके बाद प्रशिक्षण प्राप्त कर कार्यरत है तथा सुचारू रूप से केन्द्र का संचालन करती आ रही है। प्रतिपक्षी द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकारार रखते हुए अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपीलवाद को खर्चा सहित खारीज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। चूँकि बिना पोषक क्षेत्र/मैपिंग पंजी का ठीक प्रकार से निर्धारण किये चयन प्रक्रिया की गयी है।

अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. कोषांग, सहरसा को निदेशित किया जाता है कि चयन को रद्द करते हुए पुनः नये सिरे से चयन सुनिश्चित करें। मूल अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

30.8.15

जिलाधिकारी,
सहरसा।

30.8.15

जिलाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 1394-2/विधि, सहरसा, दिनांक 13-09-2017.

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

14.09.017

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।